न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4396–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 326/अपील/2011–12

.....

1–श्रीमती गोमतीबाई पुत्री रामचन्द्र पति मथुरालालजी(फौत)
मांगीलाल पिता मथुरालाल
निवासी ग्राम धरोला तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर
2–गिरीराज पिता मॉगीलाल
3–बाबूलाल पिता मांगीलाल
निवासीगण ग्राम धरोला तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द पिता हीरालाल
निवासी धरोला हालमुकाम नलखेड़ा सेधरोला रोड़
भैरू महाराज के चबुतरे के पास नलखेडा जिला शाजापुर

..... अनावेदक

.....

श्री अनिल वरोड़, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री योगेश गोस्वामी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 28/7/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 4/अ–19(4)/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–12–1998 के

विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–5–2007 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 12–10–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में पात्रता बावत् नियमानुसार जॉच परीक्षण कर, पक्षकारों को सुनवाई कर सभी तथ्य अभिलेख पर लेकर गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में दिनांक 29–3–2012 को आदेश पारित कर आवेदकगण के पक्ष में हुये व्यवस्थापन को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–11–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है और आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । आवेदकगण को जिस समय प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया था उस समय उसके पास कोई भूमि नहीं था । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं ली गई है और अभिलेख के विपरीत आदेश पारित कर व्यवस्थापन निरस्त किया गया है, जो अवैधानिक कार्यवाही है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बिना कोई प्रकरण दर्ज किये फर्जी व्यवस्थापन होना बताया गया है, जबकि आवेदकगण द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 17–12–1998 को

आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है । आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सहपठित संहिता की धारा 49 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंचायत के ठहराव प्रस्ताव की नकल एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित किये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि दिनांक 16–6–2003 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जिन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था उनका पालन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा 7 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं होने के बावजूद उनके द्वारा अपील स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन करने की पात्रता नहीं थी, क्योंकि आवेदकगण भूमिहीन कृषक नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है उसमें भी काट–छॉट की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17–12–1998 अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश का पूर्णतः पालन करते हुये विधिसंगत आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण के पक्ष में हुये प्रश्नाधीन भूमि के

व्यवस्थापन को निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर